संख्या-520/2026/I/1461636/2026/001-CN-2064524-6-7099-307-2026

प्रेषक,

अन्नाविं दिनेशकुमार,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,

उ0प्र0 लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक 12 सितम्बर, 2026

विषय:- एयरपोर्ट श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर सुरक्षा अयोध्या, आर0आर0 टीएस, लोकभवन, मेट्रो, मा0 उच्च न्यायालय व अन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु यूपीएसएसएफ की क्यू0आर0टी0 टीम एवं बीडीडीएस टीमों हेतु शस्त्रों /उपकरण के क्रय के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-478/2026(यूपीएसएसएफ), दिनांक 22.06.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एयरपोर्ट, श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर सुरक्षा अयोध्या, आर0आर0टी0एस0, लोकभवन, मेट्रो, मा0 उच्च न्यायालय व अन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु यूपीएसएसएफ की क्यू0आर0टी0 टीम एवं बीडीडीएस टीमों के प्रयोगार्थ शस्त्रों/उपकरण के क्रयार्थ निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित विवरणानुसार कुल धनराशि रू 52,60,481/- (रू बावन लाख साठ हजार चार सौ इक्यासी मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः-

(धनराशि रू में)

क्र0	शस्त्र/उपकरण	संख्या	दर (रू में)	कुल व्ययभार (रू में)
1	2	3	4	5
1	Sniper Rifle With day scope Lapua Magnum 338. 338 mm with sight	03	10,76,827/-	32,30,481/-
2	Telescopic search Mirror	14	1,45,000/-	20,30,000/-
			योग	52,60,481/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/उ0प्र0 विशेष सुरक्षा बल, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा शस्त्रों/ उपकरण का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु-2 के शा0दि0 26.11.2024 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके नियमानुसार किया जाएगा। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल एवं अन्य संगत वित्तीय नियमों / शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(2) धनराशि आहरित करने से पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/उ0प्र0 विशेष सुरक्षा बल, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त शस्त्रों/ उपकरण के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब शस्त्रों/ उपकरण आदि की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

(3) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/उ0प्र0 विशेष सुरक्षा बल, उ0प्र0 लखनऊ कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित शस्त्रों/ उपकरण के मेक/ मॉडल/ स्पेसिफिकेशन एवं संख्या के सम्बन्ध में विभागीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संतुष्ट हो लेंगे।

(4) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/उ0प्र0 विशेष सुरक्षा बल, उ0प्र0 लखनऊ क्रय किये जाने वाले शस्त्रों/ उपकरण की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट हो लेगें।

(5) शस्त्रों/ उपकरण का क्रय स्वीकृत धनराशि की सीमा में किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन नहीं किया जायेगा।

(6) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/उ0प्र0 विशेष सुरक्षा बल, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28-03-2026 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/उ0प्र0 विशेष सुरक्षा बल, उ0प्र0 लखनऊ प्रश्नगत प्रायोजन हेतु वहन की जाने वाली धनराशि के सुसंगत लेखाशीर्ष की शुद्धता के सम्बन्ध में स्वस्तर से संतुष्ट हो लेंगे।

(8) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/उ0प्र0 विशेष सुरक्षा बल, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दि0 31 मार्च, 2027 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

(9) उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/उ0प्र0 विशेष सुरक्षा बल, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यदि कोई धनराशि बचती है तो अवशेष धनराशि के समक्ष कोई अन्य वाहन/उपकरण/सेवाएं क्रय न किया जाये, किसी प्रकार का विचलन न किया जाय।

(10) किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/ऑडिट आपत्ति हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय/उ0प्र0 विशेष सुरक्षा बल, उ0प्र0 लखनऊ उत्तरदायी होंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 52,60,481/- (रू बावन लाख साठ हजार चार सौ इक्यासी मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 026 लेखा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शीर्षक 4055002072400 उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (यू.पी.एस.एस.एफ.) मानक मद 26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या- E-12-228-X-2026-27-दिनांक: 10-09-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अन्नावि दिनेशकुमार

विशेष सचिव ।

संख्या-520/2026/I/1461636/2026/001-CN-2064524-6-7099-307-2026, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

2-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

3-पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।

4-अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 विशेष सुरक्षा बल, लखनऊ।

5-निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ।

6-संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उ0प्र0।

7-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12।

8-गार्ड फाइल हेतु।

http://sha

आज्ञा से,

दीपक पटेल

अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।